भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी० ए० मिस वाद सं०- 149A/2017-18

पोगरो जामुदा **बनाम** सुकलाल टुडू

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति

25/10/17

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सरायकेला के पत्रांक 894 दिनांक 06.10.2017 के द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 149A / 2017–18 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता पोगरो जामुदा, पिता–स्व0 लुतु कोल, ग्राम–साहेबगंज, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला –खरसावॉ ने गृह मरम्मति एवं हल–बैल खरीदने हेतु क्रेता सुकलाल टुडू, पिता–राधा टुडू, ग्राम–मुण्डाटांड, थाना–सरायकेला जिला–सरायकेला–खरसावॉ को निम्नांकित भूमि की विक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार हैः–

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
साहेबगंज	228	35	98	10डी0

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के पिता लुतु कोल एवं अन्य के नाम से खतियान में दर्ज है। विक्रेता अपने पिता के मृत्यु के बाद अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहता है। आवेदक के हिस्से में 2.45½ एकड़ जमीन है, जिसमें से 10डी0 भूमि बिक्री करने के पश्चात् 2.35½ एकड़ भूमि बचती है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना, जाति 'हो' एवं 'संथाल' जो अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 10डी0 भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

25/10/17

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।